

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी (म0प्र0)

// संशोधित विविध-आदेश //

क्रमांक 173 / एक-15-20 / 16

शिवपुरी, दिनांक 04 / 12 / 2025

(कार्य विभाजन-2025)

मैं, राजेन्द्र प्रसाद सोनी, सत्र न्यायाधीश शिवपुरी एतद् द्वारा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 08(7) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्य एवं प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इस कार्यालय के आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 72 दिनांक 25.04.2025 में आंशिक संशोधन करते हुये, सरल क्रमांक 04 के समक्ष कॉलम क्रमांक 03 में दर्शित क्षेत्राधिकार को एवं कॉलम क्रमांक 04 में दर्शित कण्डिका क्रमांक 02, 03, 04 एवं 05 को विलोपित करता हूँ;

सरल क्रमांक 05 के समक्ष कॉलम क्रमांक 03 में नवीन क्षेत्राधिकार जोड़ कर, कॉलम क्रमांक 04 में कण्डिका क्रमांक 03 के पश्चात् निम्नानुसार नवीन कण्डिका स्थापित करता हूँ:-

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
1	2	3	4
05	श्री विधान माहेश्वरी, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिसूचित विशेष न्यायाधीश एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधि० के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश, शिवपुरी	1-एन.डी. पी.एस. एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए सत्र संभाग शिवपुरी 2- पॉक्सो एक्ट, 2012 के अंतर्गत आने वाले अपराधों के अंतर्गत शिवपुरी, कोलारस, बदरवास, पोहरी, बैराड़ तहसील 3- पॉक्सो एक्ट, 2012 एवं एससी/एसटी एक्ट, 1989 दोनों अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले अपराधों के अंतर्गत सत्र संभाग शिवपुरी	(4) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, से संबंधित मामले एवं प्रतिभूति आवेदन पत्र (माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक B/8260/(Exclusive POC SO) III-6-5/2010(FTSCS) C.S.S. दिनांक 28.11.2025)। (5) पॉक्सो एक्ट, 2012 एवं अ.जा. और अ. जजा.(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 दोनों अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले अपराधों के तहत दर्ज किये गये मामले/ शिकायत के आधार पर दर्ज परिवाद एवं प्रतिभूति आवेदन (माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक डी/1869 दिनांक 18.06.2021 के निर्देशानुसार)। (6) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधि०-2005 (2006 का 4) के अंतर्गत सभी न्यायिक दंडाधिकारीगण द्वारा विशेष सत्र न्यायालय को समर्पित समस्त विशेष सत्र प्रकरण।

// 02 //

साथ ही आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 72 दिनांक 25.04.2025 के खण्ड-‘ब’ की कण्डिका क्रमांक 05 एवं 07 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूँ:-

क्र.	न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति एवं अवकाश पर रहने पर	न्यायिक अधिकारी जो अत्यावश्यक कार्य निपटारेंगे		
05	श्री विधान माहेश्वरी, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एन. डी.पी.एस. एक्ट एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिसूचित विशेष न्यायाधीश एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधि० के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री अरुण कुमार सिंह) पंचम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री राजीव राव गौतम) षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री अशोक कुमार शर्मा(Jr.))अनन्य विशेष न्यायाधीश अ. जा. और अ.जजा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम शिवपुरी
07	(श्री अरुण कुमार सिंह) पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश म.प्र. डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 एवं विशेष न्यायाधीश म०प्र० निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, शिवपुरी	(श्री राजीव राव गौतम) षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी	(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया) सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री विवेक शर्मा), प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

(राजेन्द्र प्रसाद सोनी)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

शिवपुरी (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक B/438/1/एक-15-20/16

शिवपुरी, दिनांक 04/12/2025

प्रतिलिपि :-

- 01- विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, शिवपुरी
- 02- प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी
- 03- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी/करैरा/पिछोर/पोहरी/कोलारस/खनियाधाना
- 04- अध्यक्ष अभिभाषक संघ शिवपुरी/करैरा/पिछोर/पोहरी/कोलारस/खनियाधाना
- 05- प्रवर्तन लिपिक, न्यायालय माननीय सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी-
की ओर संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश की प्रति सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

शिवपुरी (म.प्र.)